समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला आपूर्ति शाखा)

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना द्वारा संसूचित निदेश के आलोक में ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड का सत्यापन एवं राशन कार्डधारियों मे से अयोग्य परिवारों को हटाने संबंधित विस्तृत आदेश कार्यालय ज्ञापांक 569 दिनांक 26.07.2016 द्वारा निर्गत किया गया है तथा सभी संबंधित प्रपत्र प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को जिला आपूर्ति कार्यालय द्वारा हस्तगत कराया जा चूका है।

2. दिनांक 02.08.2016 को हुई आपूर्ति संबंधी समीक्षात्मक बैठक में सर्वेक्षण कार्य में कार्यरत कर्मियों तथा सर्वेक्षण पद्वति (method of survey)की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत निर्णय लिया गया कि पूर्व मुद्रित प्रपत्र में नाम सुधार, आधार सिडिंग, बैंक खाता का विवरण, मोबाईल संख्या, सदस्यों के गॉव में रहने की स्थिति तथा अन्य विन्दुओं से संबंधित सर्वेक्षण कार्य आंगनवाड़ी सेविका से कराया जाय।
3. अयोग्य परिवारों को हटाने संबंधित सर्वेक्षण दिये गये प्रपत्र में पूर्व में दिये गये निदेश के अनुसार यथावत विकास मित्र/इंदिरा आवास सहायक/टोला सेवक/ अन्य कर्मियों के द्वारा किया जायेगा।
4. आंगनवाड़ी सेविका के सर्वेक्षण कार्यो का पर्यवेक्षण संबंधित महिला पर्यवेक्षिका द्वारा की जायेगी। महिला पर्यवेक्षिका अपने क्षेत्र के आंगनवाड़ी से सभी प्रपत्र भरा हुआ प्राप्त करेगी तथा इसे संकलित एवं समेकित कर प्रतिवेदन संबंधित प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को उपलब्ध करायेगी।
5. उक्त निर्णय के संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी सर्वेक्षण कार्य के लिए आंगनवाड़ी सेविका एवं महिला पर्यवेक्षिका की प्रतिनियुक्ति आदेश अविलंब निर्गत करना सुनिश्चित करेगें।
6. पूर्व से निर्गत कार्यालय आदेश ज्ञापांक 569 दिनांक 26.07.2016 के अनुसार संबंधित अनुमंडल क्षेत्र में अनुमंडल पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी नामित है। अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे सर्वेक्षण कार्यो की सत्त पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण अपने स्तर से करते रहेगें तथा प्रगति से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायेगें।
7. सर्वेक्षण कार्य हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे प्रखंडवार मास्टर ट्रेनर के रूप में सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करेगें। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी प्रखंड स्तर पर सभी सर्वेक्षण कर्मियों को प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करेगें।
8. इसमें किसी प्रकार के लापरवाही के लिए संबंधित पदाधिकारी पूर्ण रूपेण जिम्मेवार माने जायेगें एवं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी

इसकी सूचना सभी संबंधितो को दी जाय।

4/8/16
जिलाधिकारी,
मधेपुरा

ज्ञापांक 602 /आ0 मधेपुरा, दिनांक 05.08.2016

प्रतिलिपिः– सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– उप विकास आयुक्त, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– जिला सूचना बिज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

4/8/16
जिलाधिकारी,
मधेपुरा